



सं/No. 1522 / 1-A- Gen (RTI Act)

दिनांक/Date 05 जुलाई/July 2022

कार्यालय आदेश सं० 90 37-जी-8, दिनांक 05/07/2022

सूचना

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पारदर्शिता अधिकारी (Transparency Officer) का नामित किया जाना

उपरोक्त विषयांकित के संबंध में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश को अतिक्रमिit करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 19 (8) के तहत केन्द्रीय लोक सूचना आयोग को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर आयोग ने लोक प्राधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा के तहत निर्धारित दायित्वों के अन्तर्गत प्रत्येक गतिविधि के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूरा करने का निर्देश दिया है।

इस अधिनियम की धारा 4 में निर्धारित दायित्वों के लिए आयोग ने पुनः सभी लोक प्राधिकारियों को किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शी अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया है। पारदर्शी अधिकारी के मुख्य कार्य का सार निम्न है:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी एवं सक्रिय क्रियान्वयन द्वारा लोक प्राधिकारी में संस्थानिक पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना है। इसमें सम्मिलित है- प्रभावी अभिलेखों का अंकीयकरण, नेटवर्किंग एवं सक्रिय सर्वोदित प्रकटीकरण।

तदनुसार इस कार्यालय के श्री कृष्ण कुमार खरवार, उप अधीक्षक सर्वेक्षक को बिहार जी० डी० सी०, पटना का पारदर्शी अधिकारी (Transparency Officer) नामित किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

(कर्नल वी राजू)

निदेशक

बिहार जी० डी० सी० पटना।

वितरण--

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।
2. समस्त अपर महासर्वेक्षकों / निदेशकों को सूचनार्थ।
3. श्री कृष्ण कुमार खरवार, उप अधीक्षक सर्वेक्षक को सूचनार्थ।
4. श्री, हेमन्त कुमार, अधिकारी सर्वेक्षक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ।
5. प्रभारी सर्वे ऑफ इण्डिया वेबसाइट, महासर्वेक्षक कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. विंग प्रभारी, सी० डी० डी० ओ० / तकनीकी अधिकारी, बिहार जी० डी० सी० को सूचनार्थ / नोटिस बोर्ड।